**(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)**
**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**
**DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002**
**Notification No. 12/2023-State Tax (Rate)**

**Dated: 14/8/2024**

**No. F.3 ( 05 )/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/1694** .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 11/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table,

(i) against serial number 8, in column (3), in item (vi), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent,the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration:'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";

(ii) against serial number 10, in column (3), in item (i), after the condition in column (5) against the rate of 2.5 percent, , the following condition shall be inserted, namely:-

"Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges state tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.

Illustration: 'A' engages 'B' for transport from New Delhi to Jaipur in a motor cab for Rs. 1000. 'B', for supplying the said service, hires a motor cab with operator from 'C' for Rs. 800. 'C' charges 'B' state tax at the rate of 6% (Rs. 48). If 'B' charges 'A' state tax at the rate of 2.5%, he shall be entitled to take input tax credit on the input service in the same line of business supplied by 'C' only to the extent of Rs. 20 (2.5% of Rs. 800) and not Rs. 48.";

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय– I ) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या 12/2023–राज्य कर(दर)

दिनांकः 14/8/2024

सं.फा.3( 05 )/वित्त(व्यय–I)/2024–25/डीएस–I/694 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, यह सरकार, वित्त विभाग (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017–राज्य कर (दर), जिसे सा.फा.3(15)/वित्त(व्यय–I)/2017–18/ डीएस–VI/381, दिनांक 30 जून, 2017, के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग–IV, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः–

उक्त अधिसूचना मेः–

(क) तालिका में,

(i) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (VI) में, कॉलम (5) में निर्धारित शर्त के बाद, कॉलम (4) में निर्धारित 2.5 प्रतिशत की दर के समक्ष, निम्नलिखित शर्त अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थातः–

"बशर्ते कि जहां एक ही प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर राज्य कर वसूलता है, उसी प्रकार के व्यापार की इनपुट सेवा पर देय/भुगतान योग्य कर जो की 2.5% की दर से अधिक है, उस इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।

उदाहरणः 'क' ने मोटर कैब में नई दिल्ली से जयपुर तक परिवहन के लिए 'ख' को 1000 रुपये में रखता है। 'ख', उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए, 'ग' से चालक के साथ 800 रुपये में एक मोटर कैब किराए पर लेता है। 'ग' 6% (48 रुपये) की दर से 'ख' से राज्य कर लेता है। यदि 'ख' 2.5% की दर से 'क' से राज्य कर लेता है, तो वह 'ग' द्वारा एक ही प्रकार के व्यापार की आपूर्ति में इनपुट सेवा पर केवल 20 रुपये (800 रु. का 2.5%) की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा न कि 48 रु."

सं.फा.3( 05 )/वित्त(व्यय– I)/2024–25/डीएस–I/694 दिनांक: 14/8/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11 वेब साईट।
12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
उप सचिव (व्यय– I)